

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 255 सन 2021

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आदराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कुलदीप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जयलाल पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. रणजीत पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक् में से 6/85 हिस्सा वादी के दादा जयलाल के नाम दर्ज है रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 222/53 की कुल 1.2650हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब दर्ज है तथा 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 0.7590हैक् भूमि व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 0.759हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा व सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सूविधाए प्राप्त करने में परेशानी होती है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी

सहमति से हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050 हैक में से 6/85 हिस्सा वादी के दादा जयलाल के नाम दर्ज है रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 222/53 की कुल 1.2650 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब दर्ज है तथा 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 0.7590 हैक भूमि व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 0.759 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा व सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सूविधाए प्राप्त करने में परेशानी होती है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050 हैक में से 6/85 हिस्सा वादी के दादा जयलाल के नाम दर्ज है रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 222/53 की कुल 1.2650 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब दर्ज है तथा 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 0.7590 हैक भूमि व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 0.759 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा व सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है। एक ही परिवार के सदस्य काश्त की

सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से भूमि का बाहमी बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक् मे से 6/85 हिस्सा यानी 6 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 222/53 के प0न0 357/363(27) किला न0 23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/1 की 0.0380 , गै0मु0रास्ता , 25/2 की 0.1070हैक् , 25/3 की 0.1080हैक् कुल 0.759हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी तथा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 0.7590हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 0.7590हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. आदराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. कुलदीप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. जयलाल पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. रणजीत पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 255 सन 2021 निर्णय दिनांक- 24/08/2021**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक् मे से 6/85 हिस्सा यानी 6 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 222/53 के प0न0 357/363(27) किला न0 23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/1 की 0.0380 , गै0मु0रास्ता , 25/2 की 0.1070हैक् , 25/3 की 0.1080हैक् कुल 0.759हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी तथा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 0.7590हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 0.7590हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )